न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
भरतलाल बनाम मिश्रीरा मु.नं. 85/22 (T.I)	

...1-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विधान... उपचुनाव-2024 के निर्वाचन कार्य हेतु जिला ...चन कार्यालय दौसा पधारे। अतः निर्वाचन कार्य व्यस्तता के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका ...वली पूर्वानुसार दिनांक 26.11.24 को पेश हो।

...11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I ...ांक 28-11-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

...11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। ...पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बहस सुनी गई। ...वली वास्ते आदेश दिनांक 12.12.24 को पेश हो।

...ण्ड अधिकारी
...ावर (दौसा)

...-12-24 पत्रावली पेश हुई अधिभाषकों द्वारा ...र्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य ...हीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-12-24 को पेश हो।

26-12-24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
...ावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
85/22	05.12.22	26.12.24

बउनवान

1. भरतलाल पुत्र रामहेत निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. मिथलेश कुमारी पत्नी सुरेश चन्द निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर दौसा।
2. कजोडी पुत्र रामहेत निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर दौसा।
3. उप पंजीयक मण्डावर जिला दौसा।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मण्डावर दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मुकेश सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 – श्री गोपाल सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 552, 520, 521, 522, 523, 531, 532, 549, 550, 551, 586, 715, 815, 816, 818, 819, 820, 829, 821/1567 कुल किता 18 कुल रकबा 7.83 हैक्टे. प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा दावा प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, शेष हिस्सा 3/4 अन्य खातेदारान अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं दावा प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 10 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं दावा प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा करके, उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 एक ही पिता की सन्तान हैं जिनको, पिता की मृत्यु के पश्चात, उक्त आराजी विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 की वादग्रस्त आराजीयात पैतृक आराजी है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हिस्से की आराजी में से 0.07 हैक्टे. आराजी का बेचान कानूनी बंटवारा किये बिना ही अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय कर दिया है। प्रार्थी के हिस्से की आराजी सडक के किनारे पर स्थित है। दिनांक 28.10.22 को प्रार्थी अपनी आराजी पर फसल की देखभाल करने गया तो वहां अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ नींव खोदने वाले मिस्त्री मौजूद मिले। अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि यह जमीन मैंने अप्रार्थी सं. 2

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

से खरीद ली है, मैं यहां अपना मकान दुकान बनाउंगा एवं नींव खोदने के लिये कह दिया तो प्रार्थी ने कहा कि हमारा कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है एवं उक्त आराजी मेरे हिस्से की आराजी है, उक्त भूमि की किस्म भी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर आपने अभी भूमि का रूपान्तरण भी नहीं करवाया है जिस पर मकान दुकान बनाना कानूनन अवैध है। तब अप्रार्थी सं. 1 एकदम भडक गयी और प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि यह जमीन अब मेरी है, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं इसमें बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही मकान दुकान का निर्माण करूंगा और झगडने को उतारू हो गयी। वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया। प्रार्थी ने दिनांक 28.10.22 को तहसीलदार मण्डावर के आदेश से हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर फर्द मौका तैयार किया गया एवं पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद भी किया गया परन्तु अप्रार्थी सं. 1 नहीं मानी एवं दूसरे दिन फिर मिस्त्री व लेबर को बुला कर निर्माण कार्य चालू कर दिया एवं प्रार्थी से कहा कि हम इस जमीन को हडप कर रहेगे। बिनाय प्रार्थना पत्र व बिनाय मुखास्मत दिनांक 28.10.22 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि में आकर प्रार्थी को धमकी देकर शान्तिपूर्वक काश्त करने से एवं उक्त भूमि का सहखातेदारी भूमि का कानूनी बटवारा कराने से इन्कार करने एवं प्रार्थी की भूमि को जबरन हडपने के कारण पैदा हुआ है। यदि अप्रार्थीगण अपने इरादे में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा का खातेदार है, इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है जबकि अप्रार्थीगण को पाबंद नही करने पर प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजीयात का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हो जाये तथा विधिवत रूप से संपरिवर्तन होने तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें और ना ही रहन विक्रय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे। प्रार्थी के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया गया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 552 के अलावा अन्य आराजीयात से अप्रार्थी सं. 1 का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 ने दिनांक 15.09.22 से करीब 20–25 वर्ष पूर्व सभी खरीददारों ने आपसी सहमति से मौके पर मनबंट कर रखा था जिसमें अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 552 का सम्पूर्ण रकबा आया जिस पर अप्रार्थी सं. 2 काबिज

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त रहा है और अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हिस्से में से 7 ऐयर भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया था। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 सगे भाई है और दोनों ने षडयंत्रपूर्वक आपस में अलग–अलग होने का दिखावा कर दावा दायरी के लिये मनगढन्त कहानी लिखी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 द्वारा खरीदी गयी आराजी को हडपने के उद्देश्य से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। दिनांक 28.10.22 को किसी प्रकार का वाकया नहीं हुआ, ना ही प्रार्थी को वाद कारण पैदा हुआ। प्रार्थी का खसरा सं. 552 से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है, ना ही किसी प्रकार का कभी कब्जा काश्त रहा है क्योंकि उक्त आराजीयात का पूर्व में ही मनबंट से बंटवारा कर लिया गया जिसमें खसरा सं. 552 का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में था और काबिज काश्त था। अप्रार्थी सं. 2 की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने प्रार्थी से कहा कि मुझे घर खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इसलिये आप मेरे हिस्से की कुछ जमीन को खरीद लो लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 से इन्कार कर किया और कहा कि आप किसी को भी बेचान करो, मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और जब अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात का अप्रार्थी सं. 1 के हक में विधिवत रूप से बेचान कर दिया गया, तब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 से षडयंत्र कर झूठा प्रार्थना पेश किया। जब अप्रार्थी सं. 2 ने खरीद कर लिया, तब उसने अपनी खरीदशुदा आराजी में फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिये और कृषि सुधार करते हुये अप्रार्थी सं. 1 ने तीन दिशाओं में करीब 4–5 फीट उंची पुख्ता बाउण्ड्रीवाल कर बाडे के रूप में कृषि औजार रखने के उपयोग में लेती चली आ रही है। तब प्रार्थी ने कब्जा करने के उदेश्य से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जब उक्त आराजी पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त ही नही है तो प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। प्रार्थी का प्राईमा–फेसी केस नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में आज से करीब 25–26 वर्ष पूर्व अलावा अप्रार्थी सं. 1, सभी खातेदारान द्वारा मनबंट के आधार पर तकासमा कर रखा था जिसमें खसरा सं. 552 का सम्पूर्ण भाग अप्रार्थी सं. 2 कजोडी के हिस्से में आया था जिस पर कजोडी काश्त करता रहा लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ने आवश्यकता होने पर अप्रार्थी सं. 1 के हक में दिनांक 15.09.22 को खसरा सं. 552 में से 7 ऐयर भूमि का बेचान कर दिया। बेचान के समय से ही प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 से द्वेष भाव करने लग गया और हर प्रकार से परेशान करने लगा। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने खरीदशुदा आराजी में कृषि सुधार व आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिये उक्त आराजी की करीब 4–5 फिट ऊँची बाउण्ड्रीवाल कर दी लेकिन प्रार्थी ने जबरदस्ती कब्जा करने के उदेश्य से अप्रार्थी सं. 1 की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जिसकी शिकायत दर्ज कराई और अलग खाता कायम करने का न्यायालय में वाद पत्र पेश किया, साथ ही प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 को दिनांक 06.12.22 को अप्रार्थी सं. 1 की आराजी में दखलन्दाजी नहीं करने और रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिये पाबंद फरमाया गया लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाया और दिनांक 28.11.22 को हल्का पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा फर्द मौका तैयार किया जिसमें प्रार्थी भरतलाल का उक्त आराजी पर कब्जा होना नहीं माना गया। दिनांक 15.02.23 को फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व टीम व पुलिस जाब्ता खसरा सं. 552 में से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में से अतिक्रमण हटाने पहुंचे जिसमें 07 ऐयर भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 मिथलेश की चार दीवारी होना पाया और अतिक्रमण मुक्त कराया जाकर अप्रार्थी सं. 2 को पाबंद किया जिसका दिनांक 16.02.23 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया लेकिन फिर भी प्रार्थी अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है और अप्रार्थी सं. 1 की बेदखली को उतारू है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करे।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम हल्दैना तहसील मंडावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सह खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण बिना विभाजन अच्छी भूमि पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 552, 520, 521, 522, 523, 531, 532, 549, 550, 551, 586, 715, 815, 816, 818, 819, 820, 821/1567, 829 कुल किता 19 कुल रकबा 8.26 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें और ना ही रहन विक्रय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner